संख्या-1/2017/143/49-1-2017-8(56)/13टीसी-10

प्रेषक,

प्रतीक संजर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 06 मार्च, 2017

विषय- उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग के वाहन चालक के 03 स्वीकृत पदों की वित्तीय वर्ष 2017-18(दिनांक 28-02-2018 तक) की क्रमागत स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-509/49-1-2014-08(56)/13टीसी-10 दिनांक 09-04-2014 एवं पत्र संख्या-113/49-01-15-8(56)/13टीसी-10 दिनांक 24 मार्च, 2015 एवं पत्र संख्या-884/49-01-16-8(56)/13टीसी-10 दिनांक 14 जून, 2016 के क्रम में अपने कार्यालय पत्रांक-1112/रा0स0नि0आ0(वाहन चालक) दिनांक 02 फरवरी, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग के लिये उक्त शासनादेश दिनांक 09-04-2014 के माध्यम से अस्थायी रूप से सृजित वाहन चालकों के तीन पदों की वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये दिनांक 28-02-2018 तक निरन्तरता की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- इस संबंध में पूर्व निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 09 अप्रैल, 2014 में उल्लिखित शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेगें।

4- यह आदेश वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-2574/दस-98-24(8)/92 दिनांक 02 दिसम्बर, 1998 में प्रदत्त अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रतीक संजर)
संयुक्त सचिव।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1/2017/143(1)/49-1-2017-08(56)/13टीसी-10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश।
6- मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग।
7- वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग, लखनऊ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनु0-2/बजट अनु0-2/सहकारिता अनुभाग-3/वेतन आयोग अनुभाग-1/2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रतीक संजर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।